भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-10

उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

सरकारी विद्यालयों के भवनों की जर्जर स्थिति

*10. **श्री कुलदीप इंदौरा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में 2,700 से अधिक सरकारी विद्यालयों के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिससे विशेषकर हाल ही में झालावाड़ के पिपलोदी में विद्यालय की छत गिरने की दुःखद घटना जिसमें सात बच्चों की मृत्यु हो गई थी, के मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा के प्रति गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या इन विद्यालयों की मरम्मत के लिए प्रस्तावित लगभग 250 करोड़ रुपये की धनराशि के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार को क्या सहायता प्रदान की जा रही है; और
(च) क्या ऐसे विद्यालयों की सुरक्षा संबंधी संपरीक्षा और तत्काल मरम्मत के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'सरकारी विद्यालयों के भवनों की जर्जर स्थिति' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री कुलदीप इंदौरा द्वारा पूछे गए दिनांक 01.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 10 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (च): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है तथा अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश परामर्शी प्रकृति के हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उन्हें लागू करने की अपेक्षा की जाती है और उनमें उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्धन/संशोधन शामिल किए जा सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 26 जुलाई 2025 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को छात्रों की सुरक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का नवीनतम निदेश जारी किया है। यह निदेश दिनांक 27 फरवरी 2017 को जारी "स्कूल संरक्षा और सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश" (2021) और स्कूल सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश (एनडीएमए, 2016) के संदर्भ में है तथा इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कोड के अनुसार स्कूलों और बच्चों से जुड़ी सुविधाओं का सुरक्षा लेखा परीक्षा करने, आपातकालीन स्थिति के लिए शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को प्रशिक्षण देने, तथा परामर्शी सेवाओं और सहकर्मी समूहों के माध्यम से मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने की बात शामिल है। मंत्रालय ने शिक्षा विभागों, स्कूल बोर्डों और संबंधित अधिकारियों से कहा है कि इन उपायों को बिना किसी विलंब के लागू किया जाए। निदेश नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं:https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/ss2607.pdf

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 7 अगस्त 2025 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया है कि वे स्कूल भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करें और सुरक्षा लेखा परीक्षा के माध्यम से असुरक्षित और जर्जर स्कूल भवनों की तुरंत पहचान करें, इसके बाद, जहां जरूरी हो वहां ऐसे भवनों को तोड़ने या उनकी मरम्मत करने की कार्रवाई करे और जब तक वे सुरक्षित प्रमाणित न हों, तब तक उनका उपयोग बंद रखें। अधिकारियों को यह भी सलाह दी गई है कि जरूरत पड़ने पर बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल की व्यवस्था करें, टूटे हुए भवनों से खाली हुई जगह का उपयोग लाभकारी कार्यों के लिए करें, नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें, और किसी भी पुराने भवन को फिर से इस्तेमाल में लाने से पहले सुरक्षा/संरचनात्मक फिटनेस का प्रमाण पत्र अवश्य लें। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे इन सभी उपायों को सख्ती से लागू करें ताकि बुनियादी ढांचे की खराबी के कारण किसी भी तरह की चोट या जीवन की हानि को रोका जा सके। निदेश नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं: https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/ss07008.pdf

जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया है, दुर्घटना के बाद पूरे राजस्थान में सरकारी स्कूल भवनों की स्थिति का आकलन करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया है। स्कूल.

व्यापक निरीक्षण अभियान के तहत सभी निर्माणाधीन/हाल ही में पूर्ण हुए स्कूल भवनों का निरीक्षण करने और मरम्मत/निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित जिले के लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित की जाती हैं।

समग्र शिक्षा योजना के तहत सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए बुनियादी ढांचा और सुविधाएँ विकसित करने में मदद की जाती है। स्कूलों में सुविधा की आवश्यकता का आकलन प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों सहित संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है और इसे उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/आकलन योजना के कार्यक्रम एवं वित्तीय मानदंडों, पूर्व में स्वीकृत निर्माण कार्यों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति और बजट संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार राज्यों और संघ राजय क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोद बोर्ड (पीएबी) द्वारा किया जाता है।

*****